83

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

एफ 1(2)(56)मअ/स्था/2009/ 51127 जयपुर दिनांक 14/8/13

आदेश

विभाग के पूर्व आदेशों के अतिक्रमण में महिला अधिकारिता विभाग में संचालित कार्यक्रम/योजनाओं के निरीक्षण के क्रम में प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(3)प्रसु/टाइम्स/2013 दिनांक 19.02.2013 के अनुसरण में तथा पूर्व में जारी आदेशों के अतिक्रमण में निम्न निर्देश जारी किए जाते है–

- निदेशालय/संभाग स्तरीय महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निम्नानुसार संभाग आंवटित किये जाते है:–

क्र. सं.	अधिकारी	आंवटित संभाग
1	अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता	जयपुर एवं अजमेर
2	परियोजना समन्वयक/अति0परियोजना समन्वयक, जैडर	कोटा
3	अतिरिक्त निदेशक, एसएचजी	उदयपुर एवं जोधपुर
4	उपनिदेशक, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ	भरतपुर
5	कार्यक्रम निदेशक, मअ	बीकानेर
6	समस्त कार्यक्रम निदेशक, आरआरटीसी, संभाग स्तर	संबंधित संभाग के समस्त जिले

- क.सं0 1 से 5 पर अंकित अधिकारीगण प्रत्येक माह में एक जिले का निरीक्षण करेगें। प्रत्येक जिलें के दौर में दो ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करेगें।
- संभाग स्तरीय कार्यक्रम निदेशक प्रत्येक माह में अपने संभाग के समस्त जिलों का निरीक्षण एवं निरीक्षण के दौरान प्रत्येक जिलें की दो ग्राम पचायतो का दौरा करेगें।
- उक्त अधिकारीगण निरीक्षण के दौरान महिला अधिकारिता विभाग में निम्नलिखित योजनाओं के कियान्वयन का निरीक्षण करेगे। वे क्षेत्र में योजनाओं की वार्षिक योजना के कियान्वयन तथा भौतिक एव वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का आंकलन करेगे। क्षेत्र में योजनाओं के लाभान्वितों से चर्चा करते हुए योजनाओं के प्रभाव के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट करेगे।
  - स्वयं सहायता समूह योजना
  - प्रियदर्शिनी
  - स्वावलंबन
  - आरकेसीएल
  - साथिन कार्यक्रम
  - सबला
  - किशोरी शक्ति योजना
  - महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र

5

- निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण के तीन दिवस पश्चात् निदेशक महोदया, महिला अधिकारिता के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।
- उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन टाइम्स पोर्टल पर भी अपलोड किये जायेगे।

(डॉ० रेखा गुप्ता)
निदेशक
महिला अधिकारिता

एफ 1(2)(56)मअ/स्था/2009/ 51128-31 जयपुर दिनांक 14/8/13
प्रतिलिपिः—

1. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, राज0 जयपुर।
2. समस्त संबंधित अधिकारीगण, महिला अधिकारिता को पालनार्थ।
3. कार्यक्रम निदेशक, समस्त आरआरटीसी, ...।

अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

Programmer may upload the letter on Department's website. Please.
23.10.2013